न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान नोरंगलाल कस्वां बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 273/2025
निर्णय दिनांक ......13/11/25........

नोरंगलाल कस्वां पुत्र तखराम उम्र 38 वर्ष जाति जाट निवासी रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू
वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88
आर.टी. एक्ट, 136 लैण्ड
रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री मुकेश शर्मा अधिवक्ता वास्ते वादी
2. तहसीलदार तारानगर वास्ते पैरोकार राज

–::निर्णय::–

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि गांव रैयाटुण्डा पटवार हल्का रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 276 के खसरा संख्या 638 की 10.6724 हैक्ट., ख.नं. 691 तादादी 2.5416 हैक्ट. राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार दर्ज है। उक्त खसराजात कृषिभूमि पूर्व में वादी के नाना गणपतराम व उसके पश्चात वादी की माता मोहनी देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। वादी की माता मोहनी देवी का देहांत होने के बाद वादी व उसके भाई रामकुमार के नाम विरास्तन नामांतरण दर्ज हुई जिसके बाद से उक्त आराजी कृषिभूमि में वादी का नाम व वल्दीयत नोरंगलाल पुत्र मोहनी देवी पुत्री गणपतराम दर्ज चला आ रहा है जिसके स्थान पर राजस्व रिकार्ड में वादी अपना नाम नोंरगलाल कस्वां व वल्दीयत अपनी माता मोहनीदेवी के स्थान र अपने पिता का नाम तखराम दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है इसलिये उपरोक्त खसराजात की कृषिभूमि में वादी का नाम व वल्दीयत नोरंगलाला पुत्र मोहनीदेवी पुत्री गणपतराम के स्थान पर नोरंगलाल कस्वां पुत्र तखराम अंकित किया जाना न्यायोचित है। उक्त खातेदारी के अलावा अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व जनाधार कार्ड आदि में वादी का नाम नोरंगलाल कस्वां व उसके पिता का नाम तखराम दर्ज है। वादी का नाम उक्त जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण वादी को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही है। जिससे वादी को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिये वादी उक्त खसराजात की जमाबंदी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि कृषिभूमि खाता संख्या 276 के ख.नं. 638 तादादी 10.6724 हैक्ट, ख.नं. 691 तादादी 2.5416 हैक्ट. कुल तादादी 13.2140 हैक्ट. वाके रोही मौजा रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी अपना नाम व वल्दीयत नोंरगलाल पुत्र मोहनीदेवी पुत्री गणपतराम के स्थान पर नोरंगलाल कस्वां पुत्र तखराम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारनगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक पटवारी जांच रिपोर्ट के वादी को उक्त भूमि विरास्तन अपनी माता मोहनी देवी से प्राप्त हुई है। प्रार्थी की माता को उक्त भूमि विरास्तन अपने पिता गणपतराम से प्राप्त हुई है। माता से भूमि प्राप्त होने के कारण प्रार्थी के नाम के आगे माता का नाम दर्ज है जबकि मुताबिक अन्य दस्तावेज प्रार्थी का विवरण नोरंगलाल कस्वां पुत्र तखराम जाति जाट निवासी रैयाटुण्डा दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड में नवीन इन्द्राज प्रार्थी का नाम नोरंगलाल कस्वां पुत्र तखराम किया जाना उचित है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। वकील वादी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

वाद पत्र के समर्थन में वकील वादी ने वादी नोरंगलाल कस्वां पुत्र तखराम का शपथ पत्र पेश किया और बयान लेखबद्ध करवाये। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

Rajendra

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पहचान पत्र में वादी का नाम नोरंगलाल कस्वां पुत्र तखराम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम नोंरगलाल पुत्र मोहनीदेवी पुत्री गणपतराम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही रैयाटुण्डा पटवार हल्का रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 276 के खसरा संख्या 638 की 10.6724 हैक्ट., ख.नं. 691 तादादी 2.5416 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम नोंरगलाल पुत्र मोहनीदेवी पुत्री गणपतराम **Delete** कर इसके स्थान पर वादी का नाम नोरंगलाल कस्वां पुत्र तखराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......13/11/25...... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)